

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू टोंक ( राज.)

क्रमांक:-राकमपी/विद्यासंबल/2023-24/ 3557

दिनांक: 04/07/2024

विज्ञप्ति

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक: एफ1(02)विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट.1/रेफरेन्स नं. 8029676 दिनांक 21.06.2024 के क्रम में अधोलिखित संकाय/विषयों में विद्या संबल योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में अध्यापन कार्य के लिए गैस्ट फौकल्टी लगाये जाने हेतु सशर्त आवेदन दिनांक 11.07.2024 सायं 04.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं:- विस्तृत विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggcpeeplu> पर उपलब्ध है।

क्र०सं०	संकाय	विषय	पद
1.	कला (स्नातकोत्तर)	भूगोल राजसेस	01
2.	कला (स्नातक)	अंग्रेजी साहित्य,	01
		गृह विज्ञान(स्नातक)	01

(प्र० सौलत अली खान)  
प्राचार्य

राजकीय कन्या महाविद्यालय,  
पीपलू टोंक(राज०)

दिनांक: 04/07/2024

क्रमांक:-राकमपी/विद्यासंबल/2023-24/ 3558-61

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. सूचना पट्ट- महाविद्यालय परिसर/उपखण्ड/तहसील कार्यालय, पीपलू।
3. नोडल अधिकारी, महाविद्यालय वेब पेज को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति ,आवेदन पत्र का प्रारूप, न्युनतम योग्यता, शर्तों, एवं शपथ पत्र आदि को महाविद्यालय वेबपेज पर अपलोड करें।
4. स्थानीय संवाददाता राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को न्युनतम स्पेस में डी.पी.आर. की अनुमोदित दर पर प्रकाशित करवायें।

(प्र० सौलत अली खान)  
प्राचार्य

राजकीय कन्या महाविद्यालय,  
पीपलू टोंक(राज०)



# कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, टोंक (राज.)

क्रमांक:- रमट/स्था/2024/ 1879

दिनांक: 3-7-24

श्रीमान संयुक्त निदेशक(HRD),  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,  
जयपुर।

विषय :- मार्गदर्शन करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू में पत्रांक राकमपी/अकाद/2020-21/3539 दिनांक 24.06.2024 द्वारा महाविद्यालय में भूगोल (स्नातकोत्तर) में अध्ययन की व्यवस्था करवाने हेतु अवगत करवाया है।

श्रीमान राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू नियमित महाविद्यालय है, तथा इसमें भूगोल (स्नातकोत्तर) विषय राजसेस में खोला गया है।

चूंकि राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू राजसेस में नहीं होकर नियमित महाविद्यालय है, अतः विद्या संबल योजना हेतु प्रक्रिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू अथवा राजकीय महाविद्यालय, टोंक से की जानी है कृपया मार्गदर्शन करने का श्रम करें।

(प्रो. लोकेश कुमार शर्मा)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, टोंक (राज.)

दिनांक:

क्रमांक:- रमट/स्था/2024/

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 01 प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू।
- 02 DRAC प्रभारी, श्रीमती यासमीन फातमा, सह आचार्य, अंग्रेजी।
- 03 रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, टोंक (राज.)

359  
24/6/24

316 50 दिनांक नोटिफिकेशन

हस्ता

यिथाम

12

24-6-24



राजस्थान सरकार  
विद्या विभाग

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साइट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- [hrd.cce@gmail.com](mailto:hrd.cce@gmail.com) फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गै.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट-1/ दिनांक:-

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
(राजसेस/कृषि/विधि/राजसेस विषय)  
राजस्थान

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फॅकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के क्रम में लेख है कि "विद्या संबल योजना" अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गेस्ट फॅकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पूर्व रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आंकलन कर आवश्यकतानुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-

1. सत्र 2024-25 में सत्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फॅकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2025 तक जो भी पहले हो तक ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं। जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं है तो आवश्यकतानुसार सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फॅकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।

RajKaj Ref  
8029676



Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 17:43:17 IST  
Reason: Approved

विद्या संवल योजना के अन्तर्गत गैस्ट फौकल्टी को आमन्त्रित करने तथा पात्रता की जाँच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी है तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संवल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गैस्ट फौकल्टी को सत्र 2024-25 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800/-	14 घंटे	अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।

6. विद्या संवल योजना के तहत आमन्त्रित गैस्ट फौकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 07 "यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।" तथा बिन्दु संख्या 08 "इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फौकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।" के अध्याधीन रहेगी।
8. नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गैस्ट फौकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 17:43:17 IST  
Reason: Approved

विद्या संवल गेस्ट फ़ैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण कर लेवे तथा दिनांक 01.07.2024 से जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें आवश्यकतानुसार गेस्ट फ़ैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 01 जुलाई से आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-

- 1 वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023
- 2 पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
- 3 पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश
- 4 गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप
- 5 गेस्ट फ़ैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
- 6 महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के नियमों की प्रति

संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
02. प्राचार्य, नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 12:43:17 IST  
Reason: Approved



राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

संलग्न-01  
10  
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फौकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।  
इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फौकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।
2. गैस्ट फौकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फौकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फौकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
4. गैस्ट फौकल्टी/चयन प्रक्रिया :  
(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फौकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फौकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फौकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फौकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फौकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा विंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।




( डॉ. पृथ्वी )

शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक सगस्त मंत्रीमण/राज्य मंत्रीमण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थारं ।
15. तकनीकी विदेशक वित्त विभाग को नैजकर लेख हे परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे ।
16. सक्षित पत्रावली ।




(दिमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)





राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 07.08.2023

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :-

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	18 घंटे
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	18 घंटे
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	18 घंटे
अनुदेशक	--	300/-	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	--	300/-	18 घंटे

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/-	14 घंटे
सह आचार्य	1000/-	13 घंटे
आचार्य	1200/-	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

.....2

- (ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।
- (स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।”

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।



(रोहित गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त 1.7. निर्देशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कोषाधिकारी समस्त।
8. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
9. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख दे कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके।
10. तकनीकी निर्देशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख दे कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकसुमत सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।



(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 08/2023)

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फ़ैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए  
वरीयता के मानदंड

क्र. सं.	शैक्षणिक रिकार्ड	स्कोर
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निश्चित अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20
3	एम.फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05
4	पी.एच.डी.	25
5	जेआरएफ सहित नेट	10
	नेट	08
	स्लोट या सेट	05
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)#	10
8	पुरस्कार	
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02

# तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट:-

(अ)	एमफिल पीएचडी	अधिकतम-	25 अंक
(प)	जे आर एफ/नेट/सेट	अधिकतम-	10 अंक
(स)	अवार्ड की श्रेणी में	अधिकतम-	03 अंक

Signature valid

RajKaj Ref  
8029676

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 11:43:17 IST  
Reason: Approved

## पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश

गेस्ट फ़ैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

- वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायें।
- आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर मात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायें।
- प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
- यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा तथा योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।
- गेस्ट फ़ैकल्टी के संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

विद्या संवल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:-

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद शर्तों एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

- अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,
  - कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
  - अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
  - अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
  - अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।
- उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संवल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञापित, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चरपा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संवल का पैनल तैयार किया जाना है।

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 13:43:17 IST  
Reason: Approved

## कार्यालय, प्राचार्य,

क्रमांक:-

दिनांक:-

नाम.....

पता.....

विषय:- विद्या संबल योजनान्तर्गत अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक .....दिनांक ..... के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय,..... में विषय..... में प्रति कालांश मानदेय रू. 800/- पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांक ..... से ..... के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में अपने मूल दस्तावेजों की जाँच एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (100/- स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ) उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त समझा जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजसेस अधीन महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 12:43:17 IST  
Reason: Approved

## शपथ-पत्र

में श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ( संस्थान का नाम )..... में दिनांक..... को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैरस्ट फैंकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है।

1. यह है कि मैंने.....संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा निषम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्रामांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपू. सं. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र ) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरहित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैरस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा /करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ, करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैरस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं को गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

## सत्यापन

मैं शपथपूर्वक वचन करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको गतिमोति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उर उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहित

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.24 17:43:17 IST  
Reason: Approved